आलू का मूल्य बढ़ने से रोकना

7562. **श्री प्रभु नारायण टंडन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में आलू के मूल्य बहुत अधिक हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार इन मूल्यों को कम करने के लिए कुछ उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ। फरवरी, 1980 से देश के विभिन्न भागों में आलू के मूल्यों में वृद्धि हो रही है जब कि गत वर्ष इसी अवधि में मूल्य इतने अधिक नहीं थे। 1979-80 का आलू की फसल के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि 1979-80 में इस फसल का उत्पादन वर्ष 1978-79 की तुलना में कम था। फरवरी, 1980 से आलू के मूल्य में तेजी आने का एक मुख्य कारण यह है।

(ख) सरकार चाल वर्ष के दौरान आलू के उत्पादन म वृद्धि करने के लिये सभी संभव प्रयत्न कर रही है। इससे आलू की सप्लाई म वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आलू उपलब्ध हो सकेगा।

खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाये जा रहे ऊन पर आधारित कुटीर उद्योग

7563. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ऊन पर आधारित किस प्रकार के कुटीर उद्योग चलाये जा रहे हैं तथा वे कहाँ पर तथा कब से चलाये जा रहे हैं ;

(ख) इन कुटीर उद्योगों में खादी आयोग को कितना लाभ हो रहा है और क्या तत्सम्बन्धी वर्ष-वार आँकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ;

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान उक्त कुटीर उद्योगों में कार्य और आगे बढ़ाने के लिए आयोग ने क्या प्रावधान किये हैं और कौन से नए उद्योग स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) क्या खादी आयोग ने जून, 1979 से जून, 1980 के दौरान ऊन की कताई तथा बुनाई रोक दी थी जिसके फलस्वरूप वर्ष 1979-80 के अकाल से पीड़ित श्रमिकों को भारी संकट का सामना करना पड़ता था ; और यदि हाँ, तो इसके लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं और खादी आयोग ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बीकानेर में स्थित उनके क्षेत्रीय कार्यालय के तत्वावधान में राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, और गंगानगर के चार सीमावर्ती जिलों में ऊनी खादी के उत्पादन तथा बिक्री की गतिविधियाँ अक्तूबर, 1963 से शुरू की

जा रही हैं । उपर्युक्त गतिविधियां निम्न-लिखित स्थानों पर की जाती हैं :—

बीकानेर	बज्जू
श्रीकरणपुर	बाड़मेर
शास्त्रीग्राम	बाबड़ी
बाल-बालेवा	हरसनी
बीकमपुर	नछना
गूंगा	गजरा रोड़
दुधवा	बैशाला
बैकुंठग्राम	मैयाज्लार तथा महावर

बिक्री मुख्यत: बीकानेर, बाड़मेर तथा श्रीकरणपुर में स्थित केन्द्रों के माध्यम से होती है ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसके ऊनी खादी के उत्पादन और बिक्री की गतिविधियों के परिणामस्वरूप वर्ष 1964-65 से 1978-79 के बीच हुए लाभ तथा हानि को वर्ष-वार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध) ।

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए, ऊनी खादी के उत्पादन और बिक्री हेतु अनुदान के रूप में 5.8 लाख रुपए तथा कार्यकारी पूंजी के रूप में 61.82 लाख रुपए के अन्तरिम प्रावधान किये गये हैं ।

(घ) सीमाक्षाधीन अवधि के दौरान कताई तथा बुनाई के कार्य को स्थगित नहीं किया गया था ।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप हुये लाभ तथा हानि के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	कुल लाभ (+) रुपए	कुल हानि (-) रुपए
1964-65	..	-20638
1965-66	+38936	..
1966-67	+48537	..
1967-78	..	-30220
1978-79	..	-3204
1969-70	..	-1425
1970-71	..	-2029
1971-72	..	..
1972-73	+29958	..
1973-74	+440228	..
1974-75	+392679	..
1975-76	..	-5924
1976-77	..	-12131
1977-78	..	-19811
1978-79	..	-328582

1979-80 के लेखाओं की समीक्षा की जा रही है तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।